**संख्या-23/2018/472(1)/94-स्टा०नि०-2-18-700(188)/18**

**प्रेषक,**

**लालू,**

**संयुक्त सचिव,**

**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प,**

**उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।**

**स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2** **लखनऊ:दिनांक 21 जून, 2018**

**विषय:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भूमि क्रय आदि में स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 807/स्टाम्प विविध 29/2018, दिनांक 20-04-2018 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।**

**2. शासन के संज्ञान में जिलाधिकारी जनपद-जालौन द्वारा लाया गया है कि मे० पी०एस०पी०एन० सिनर्जी प्रा०लि० द्वारा ऊर्जा से संबंधित इकाईयों की अवस्थापन हेतु मौजा सधारा, तहसील कालपी में भूमि को क्रय किया गया है किन्तु उनके द्वारा निष्पादित 11 विलेखों में साक्ष्य के रूप में जिला मजिस्ट्रेट अथवा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जनपद-जालौन के हस्ताक्षर नहीं हुये है जिसके फलस्वरूप सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जालौन की आख्या दिनांक 08-08-2016 के द्वारा स्टाम्प शुल्क का अपवंचन करते हुए कंपनी के विरूद्ध धारा-33/47ए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत वाद योजित कराये गये है, जबकि कंपनी द्वारा अधिसूचना संख्या-क०नि०-7-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05-12-2012 का उल्लेख करते हुए स्टाम्प शुल्क में शतप्रतिशत छूट दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।**

**3. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मे० पी०एस०पी०एन० सिनर्जी प्रा०लि० के पक्ष में निष्पादित प्रथम 11 लेखपत्रों का निबंधन सौर ऊर्जा नीति, 2013 के अंतर्गत कराया गया है, साथ ही इन लेखपत्रों के संबंध में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र जालौन द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि लेखपत्रों के निबंधन में अधिसूचना दिनांक 05-12-2012 के अंतर्गत 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जाए। मात्र तकनीकी त्रुटि अथवा**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभागीय लापरवाही के आधार पर मात्र किसी साक्षी के हस्ताक्षर न होने के कारण लेखपत्रों पर स्टाम्पवादों का योजन प्रदेश में निवेशकों को हतोत्साहित करेगा।

4. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस उद्देश्य से अपने स्तर से सभी विभागीय अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश जारी करें कि राज्य की विविध नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों में प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की छूट तभी प्रदान की जाए जबकि संबंधित अधिसूचना में अंतर्निहित शर्तों के अक्षरशः अनुपालन के साथ संबंधित लेखपत्र का निष्पादन किया गया हो।

5. उक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करया जाय।

भवदीय

लालू

संयुक्त सचिव।

संख्या यथोक्त, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लालू

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।